

न्यायालय:-आशीष दवन्डे, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन (म0प्र0)

क्रमांक /आप./ 2020

खरगोन, दि. 29/06/2020


:: आदेश ::

मैं आशीष दवन्डे, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खरगोन, (म.प्र.) इस आदेश द्वारा न्यायिक जिला मण्डलेश्वर में पदस्थ समस्त न्यायिक अधिकारियों को माह जुलाई एवं अगस्त 2020 में आने वाले समस्त सार्वजनिक अवकाशों में न्यायिक कार्य के सुचारू रूप से संचालन हेतु रिमाण्ड ड्यूटी का कार्य संचालन किये जाने हेतु आदेशित करता हूँ :-

क.	न्यायिक अधिकारी का नाम एवं पद	माह	रिमाण्ड ड्यूटी दिनांक
1	श्रीमती आरती ढींगरा जेएमएफसी.खरगोन	जुलाई	5
		अगस्त	1, 2
2	श्रीमती प्रियंका चौहान, जेएमएफसी. खरगोन	जुलाई	12
		अगस्त	3, 9
3	श्री अभिषेक कुमार त्रिपाठी जेएमएफसी खरगोन	जुलाई	18, 19
		अगस्त	12, 22, 23
4	श्री राजु सिंह डावर जेएमएफसी खरगोन	जुलाई	26
		अगस्त	15, 16, 30
5	श्रीमती संगीता डावर मौर्य, जेएमएफसी मण्डलेश्वर	जुलाई	संपूर्ण सार्वजनिक अवकाशों में
		अगस्त	
6	श्री पियूष भावे, जेएमएफसी महेश्वर	जुलाई	संपूर्ण सार्वजनिक अवकाशों में
		अगस्त	
7	श्री संतोष सैनी जेएमएफसी कसरावद	जुलाई	5, 12
		अगस्त	1, 2, 3, 15, 16
8	श्री अजयसिंह यादव जेएमएफसी कसरावद	जुलाई	18, 19, 26
		अगस्त	9, 12, 22, 23, 30
9	श्री सुधीरसिंह निगवाल जेएमएफसी, बडवाह	जुलाई	5, 12
		अगस्त	1, 2, 3, 15, 16
10	श्री जितेन्द्रसिंह परमार जेएमएफसी,बडवाह	जुलाई	18, 19, 26
		अगस्त	9, 12, 22, 23, 30
11	श्रीमती चारुलता दांगी, जेएमएफसी, सनावद	जुलाई	5, 12
		अगस्त	1, 2, 3, 15, 16
12	श्री महेन्द्र सैनी जेएमएफसी, सनावद	जुलाई	18, 19, 26
		अगस्त	9, 12, 22, 23, 30
13	श्रीमती ज्योत्सना आर्य जेएमएफसी भीकनगाँव	जुलाई	5, 12
		अगस्त	1, 2, 3, 15, 16
14	श्री फरहान मसूद कुरैशी जेएमएफसी भीकनगाँव	जुलाई	18, 19, 26
		अगस्त	9, 12, 22, 23, 30

नोट:-

- 1- जहाँ एक से अधिक न्यायिक अधिकारी हों, वे आपस में लिखित में सहमति बनाकर रिमांड ड्यूटी परिवर्तित करने की लिखित सूचना माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, प.निमाड मण्डलेश्वर को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के माध्यम से भेजेंगे तथा माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय की अनुमति के उपरांत ही रिमांड ड्यूटी परिवर्तित मानी जायेगी।
- 2- यदि किसी न्यायिक अधिकारी को, जिसकी रिमांड ड्यूटी लगी है तथा उसे अपरिहार्य कारणवश अवकाश में जाना आवश्यक है तो वह उसी कम में आगे रिमांड ड्यूटी करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी को लिखित सूचना देकर एवं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय की अनुमति प्राप्त होने पर ही अवकाश का उपभोग करेंगे।
- 3- माह में यदि कोई अवकाश घोषित होता है तो मुख्यालय पर उसकी निरन्तरता वाली तिथि से संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमांड का कार्य संपादित करेंगे। अवकाश पर रहने वाले अधिकारी का कार्य प्रभार में आने वाले अधिकारी संपन्न करेंगे।
- 4- यदि किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण होता है तो उक्त अधिकारी के स्थान पर पदभार ग्रहण करनेवाले मजिस्ट्रेट रिमांड ड्यूटी संपादित करेंगे। मजिस्ट्रेट का पद रिक्त होने अथवा पदभार ग्रहण न करने की दशा में रिमांड ड्यूटी उसी कम में आगे रिमांड ड्यूटी करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट संपादित करेंगे।
- 5- यदि रिमांड ड्यूटी हेतु निर्धारित तिथियों में माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय द्वारा कोई प्रोटोकॉल ड्यूटी अधिरोपित की जाती है तो संबंधित अधिकारिता में रिमांड ड्यूटी करने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा ही सुचारू रूप से प्रोटोकॉल ड्यूटी के निष्पादन में आवश्यक सहयोग किया जावेगा।
- 6- यदि रिमांड ड्यूटी के दौरान अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम से संबंधित मामलों में आरोपी या फरारी वारंटी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जाये तो संबंधित थाना क्षेत्र के न्यायालय से रिमांड प्राप्त कर जेल भेज सकते हैं।


(आशीष दवन्डे)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
खरगोन, पश्चिम निमाड


पृष्ठांकन क्रमांक

/आप./2020

खरगोन, दिनांक 29.06.2020

प्रतिलिपि:-

- 1- माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, पश्चिम निमाड, मण्डलेश्वर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- श्रीमान् कलेक्टर, खरगोन को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, खरगोन को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ कि रिमांड ड्यूटी आदेश से संबंधितों को अवगत कराने का कष्ट करें।
- 4- श्री.....न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी खरगोन/भीकनगॉव/सनावद/बडवाह/मण्डलेश्वर/महेश्वर/कसरावद की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 5- जिला अभियोजन अधिकारी खरगोन को सूचनार्थ प्रेषित।
- 6- अध्यक्ष अभिषाषक संघ, खरगोन/भीकनगॉव/सनावद/बडवाह/मण्डलेश्वर, महेश्वर/कसरावद की ओर सूचना पटल पर चस्पा करने हेतु प्रेषित।


(आशीष दवन्डे)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
खरगोन, पश्चिम निमाड